प्रकाष्ठ एवं जलावन नीलामी सूचना

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।

अधिसूचना सं० 0-7/2026-27/रेंज/सिल्वा/ 77 दिनांक : 25/07-2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान के रेंज डिपो में गोल प्रकाष्ठ व जलावन के लॉट की नीलामी दिनांक 10-07-2026 को प्रातः 10:30 बजे वन क्षेत्राधिकारी, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग के कार्यालय में संपादित की जाएगी।

सभी बोली दाताओं को रु 10,000/- (रुपये दस हज़ार) मात्र नगद अग्रिम धनराशि जमानत के रूप में बोली से पहले जमा करना होगा। कोई भी बोलीदाता तब तक बोली लगाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि गेट मनी की राशि जमा नहीं कर देते। नीलामी में सम्मिलित होने वाले ठेकेदारों का पेन कार्ड नं०, आधार नं० एवं GST रजिस्ट्रेशन नं० होना अनिवार्य है।

उच्चतम बोलीदाता को बोली की 10% राशि जमानत के रूप में बोली छूटने के तुरंत बाद जमा करनी होगी तथा शेष राशि बिक्री स्वीकृति होने के 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। बिक्री के समय लागू नियमो एवं दरों के अनुसार देय समस्त करों (GST एवं TCS इत्यादि) की धनराशि अतिरिक्त से देय होगी। विस्तृत जानकारी के लिए वन क्षेत्राधिकारी रेंज कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के कार्यालय (office phone नं० 01352224418) से संपर्क करें। अन्य निर्देश नीलामी के दिन नीलामी हॉल में घोषित किए जाएँगे।

प्रभाग प्रमुख
वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।

नीलामी सूचना

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान के रेंज डिपो में संग्रहित प्रकाष्ठ व जलाऊ लकड़ी का रेंज कार्यालय में निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार संलग्न सूची में दी गयी वन उपज की नीलामी दिनांक ---10.07.2026 को प्रातः 10:30 बजे से प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संपादित की जाएगी।

1. बिक्री एक से अधिक क्रेताओं के नाम पर अंकित नहीं होगी। नीलामी की जमानत राशि जमा करने एवं प्रकाष्ठ का निरीक्षण का समय नीलाम के एक दिन पूर्व एवं नीलाम के दिन प्रातः 9.00 बजे से 10.00 बजे तक होगा।
2. यद्यपि लॉटों में सम्मिलित प्रत्येक नग आदि की नाप विक्रय सूची में यथा संभव सही अंकित की जाती है, तथापि क्रेताओं को चाहिए कि बोली देने से पहले लॉट को भली-भांति देख लें, तत्पश्चात कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. लॉट विक्रय हो जाने के बाद लकड़ी के ग्रेड (ग्रुप श्रेणी) के विषय में क्रेता की ओर से कोई शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी। क्रेता श्रेणी देखकर ही बोली दें।
4. क्रेताओं को नीलामी से पूर्व बोली लगाने के लिए रुपये 10,000/- की धनराशि गेटमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है। कोई भी बोलीदार तब तक बोली लगाने की पात्रता नहीं रखेंगे जब तक कि गेटमनी की राशि जमा नहीं कर देते।
5. लॉटों की नीलामी सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगी परंतु प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग को अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।
6. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी में की गयी बोली का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में बोली छूटने के तुरंत बाद जमा करनी होगी, क्रय मूल्य की राशि बोली स्वीकृत होने के बाद 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। यदि स्वीकार्य बोलीदाता बोली की राशि को 15 दिन के अंदर जमा करने में असमर्थ होता है तो बोलीदाता की 10 प्रतिशत जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। नीलाम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि नीलामी के दौरान यदि आवश्यक होगा तो किसी भी लॉट के लिए 10 प्रतिशत बोली राशि से अधिक की जमानत राशि निर्धारित कर सकते हैं।
7. क्रेता से लॉट के बिक्री मूल्य के अतिरिक्त अन्य समस्त लागू कर जैसे (जी० एस० टी० , टी० सी० एस० इत्यादि) अलग से लिया जाएगा।
8. क्रेता द्वारा वन अनुसंधान संस्थान वन क्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
9. क्रेता को डिपो से निकासी कार्यदिवस के दिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक की बीच के समय में ही दी जाएगी।
10. शनिवार, रविवार व अन्य अवकाश के दिन डिपो से माल नहीं उठाया जा सकेगा।
11. बोलीदाता द्वारा आयकर नं० (पेन नं०), जी० एस० टी० नं०, आधार नं० की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

12. यदि क्रेता द्वारा लिए गए प्रकाष्ठ व जलावन की राशि के अनुमोदन की तिथि के उपरांत उस प्रकाष्ठ व जलावन को 40 दिन के अंदर नहीं उठाया गया तो नियमानुसार 40 दिन के बाद से 0.25% की दर से प्रतिदिन के हिसाब से डिपो में बचे प्रकाष्ठ व जलावन पर डिपोकर लगाया जाएगा।

13. क्रेता को बिका हुआ माल की निकासी सूचित करने की तारीख के अंदर लेना होगा। यदि इस अवधि तक वह बिका हुआ माल नहीं उठवा सका तो बोलीदाता का सम्पूर्ण माल जमा धनराशि सहित जब्त करने का अधिकार होगा। तत्पश्चात न तो बोलीदाता का बिके हुए सम्पूर्ण माल पर और ना ही जमानत राशि पर कोई अधिकार होगा।

(ऋचा मिश्रा)
प्रभाग प्रमुख
वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।